

प्रेषक,

जिलाधिकारी
झाँसी।

सेवा में,

रजिस्ट्रार,
मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण,
नई दिल्ली।

संख्या: 962 / एस०टी०-एन०जी०टी० / 2023-24 दिनांक 29 दिसम्बर 2023
विषय: मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के मूल प्रा०पत्र सं० 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० व अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट का प्रेषण।

महोदय,

कृपया उपर्युक्त विषय के सम्बन्ध में अवगत कराना है कि मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के द्वारा ओ०एस० सं० 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम स्टेट ऑफ यू०पी० अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन में झाँसी विकास प्राधिकरण से अद्यतन आख्या प्राप्त की गयी, जो पत्र के साथ संलग्न है।

अतः अनुरोध है कि कृपया अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण की पीठ के समक्ष अग्रेत्तर निर्देशार्थ/आदेशार्थ प्रस्तुत करने का कष्ट करें।
संलग्न-उपरोक्तानुसार

भवदीय,


जिलाधिकारी,
झाँसी।

संख्या व दिनांक तद्

प्रतिलिपि-

1. प्रमुख सचिव, उ०प्र० शासन नगर विकास अनुभाग-5 लखनऊ को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के क्रम में सादर अवलोकनार्थ।
2. आयुक्त, झाँसी मण्डल, झाँसी की सेवा में सादर सूचनार्थ।
3. उपाध्यक्ष, झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी को मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के क्रम में सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु।


जिलाधिकारी,
झाँसी।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, नई दिल्ली में दायर O.A. No. 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के सम्बन्ध में अद्यतन एक्शन टेकन रिपोर्ट।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के समक्ष O.A. No. 918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम स्टेट ऑफ उत्तर प्रदेश एवं अन्य में मा0 एन0जी0टी0 द्वारा दिनांक 10.10.2023 को निम्नवत् आदेश पारित किया गया है :-

5. The figures as disclosed by the learned Counsel for the State of UP clearly reflect that the authorities have not taken the action as against all the identified unauthorized encroachers promptly and in many of the cases the proper action and final outcome of notice under Section 27 is still awaited. They are expected to take expeditious action so that the green belt can be protected and restored.
6. It has also been pointed out that the survey in respect of Jhansi Khas and Jhansi Civil is under progress. Let the same be also completed expeditiously.
7. In respect of 25.31 hectare of land, which is stated to be vacant land, the development authority along with DFO are directed to explore the possibility of plantation and submit a report before the Tribunal in this regard on the next date.
8. For want of any dispute by the concerned authorities, we proceed on the basis that the Araj numbers which are mentioned in the order dated 02.01.2023 form part of the green belt. If any, contrary position exists in record, then the authority will clarify it on the next date.

मा0 हरित अधिकरण, नई दिल्ली द्वारा पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन में झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी के द्वारा पत्र संख्या 2248/जे0डी0ए0 /मा0रा0हरि0अधि0/2023-24 दिनांक 29.12.2023 (संलग्न- A) के माध्यम से कृत कार्यवाही की अद्यतन आख्या प्रस्तुत की गयी। उक्त आख्या में निम्नवत् उल्लेख है:-

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मूल प्रा0पत्र सं0-918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन में राजस्व ग्राम-बूढ़ा, झाँसी खास एवं नयागांव में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि के सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है, जिसमें 200 अनाधिकृत निर्माण चिन्हित किये गये हैं, तथा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जा चुके हैं। पूर्व चिन्हित 2505 अनाधिकृत निर्माण को सम्मिलित करते हुये कुल 2705 अनाधिकृत निर्माण चिन्हित हो चुके हैं, इन अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं/भू-स्वामियों को पूर्व में अधिनियम की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी। वर्तमान में 312 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा 337 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे इस प्रकार कुल 649 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये जा चुके हैं। जिसके सापेक्ष 26 प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये हैं।

प्राधिकरण द्वारा अब तक कुल 40 अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। दिनांक 21.11.2023 को प्राधिकरण के प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के सहयोग से मौजा-झाँसीखास में 10 अनाधिकृत निर्माण एवं दिनांक 12.12.2023 को मौजा-पिछोर में 06 अनाधिकृत निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन में प्राधिकरण के सचिव, नगर नियोजक, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्तागण तथा डी.एफ.ओ, झाँसी की

I

संयुक्त टीम द्वारा वृक्षारोपण कराये जाने के लिये 25.00हे० भूमि का सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसमें 19.92हे० भूमि रिक्त पाई गयी। यद्यपि सर्वेक्षण की गयी भूमि निजी काश्तकारों के स्वामित्व में है, जिसमें निजी काश्तकारों से सहमति के आधार पर ही वृक्षारोपण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02.01.2023 में झांसी महायोजना 2021 के अनुसार मौजा-डड़ियापुरा के आराजी संख्या-1136ए 1154ए 155ए 1163ए 1164ए 1165ए 1168 एवं 1206 इत्यादि मौजा-पिछोर के आराजी संख्या- 908ए 909ए 910ए 911ए 912ए 917ए 932ए 933ए 934ए 935ए 936ए 752ए 753ए 754ए 755ए 817ए 818ए 819ए 820ए 821ए 826ए 827ए 828ए 829ए 830ए 831ए 832ए 833ए 834ए 835ए 836ए 837ए 838ए 839ए 840ए 841ए 842ए 843ए 844ए 760 एवं 856 इत्यादि, मौजा-झांसी खास के आराजी संख्या- 751 इत्यादि, मौजा-बूढ़ा के आराजी संख्या- 38ए 123ए 132ए 133ए 297ए 298ए 300ए 304 एवं 305 इत्यादि, मौजा-नयागांव के आराजी संख्या-560/8 एवं 560/9 इत्यादि का भू-उपयोग नगर पार्क एवं पार्क का उल्लेख है। उक्त राजस्व ग्रामों में से ग्राम-डड़ियापुरा के आराजी संख्या-1136, 1154, 1155, 1163, 1164ए 1165ए 1168 एवं 1206 ग्राम-बूढ़ा के आराजी संख्या- 38ए 123ए 132 एवं 133 ग्राम-नयागांव के आराजी संख्या-560/8 एवं 560/9 का भू-उपयोग प्रस्तावित नगर पार्क से भिन्न है, जिनमें व्यवसायिक एवं आवासीय भू-उपयोग भी सम्मिलित है।

मा० अधिकरण के आदेश दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन में बिन्दुबार आख्या निम्नवत् है:-

.बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माणों को चिन्हित करते हुए उ०प्र० नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अधीन 200 अन्य नोटिस जारी किये गये व 312 अन्य में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये। इस प्रकार अब तक कुल नोटिस 2705 तथा ध्वस्तीकरण आदेश 649 जारी किये जा चुके हैं।

प्राधिकरण द्वारा अब तक कुल 40 अनाधिकृत निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। दिनांक 21.11.2023 को प्राधिकरण का प्रवर्तन दल, जिला प्रशासन एवं पुलिस बल के सहयोग से मौजा-झांसी खास में 10 अनाधिकृत निर्माण एवं दिनांक 12.12.2023 को मौजा-पिछोर में 06 अनाधिकृत निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।



फोटो दिनांक 21.11.2023 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही



फोटो दिनांक 12.12.2023 ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करते हुए प्राधिकरण द्वारा अब तक कुल 2705 नोटिस जारी किये जा चुके हैं। राजस्व ग्राम-बूढ़ा एवं झाँसी खास में 110 एवं ग्राम नयागांव में 90 अनाधिकृत निर्माण को चिन्हित कर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कुल 200 भवनों के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की जा चुकी है।

बिन्दु संख्या-07 के अनुपालन में दिनांक 17.11.2023 को प्राधिकरण के सचिव, नगर नियोजक, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्तागण की टीम के साथ डी0एफ0ओ0, झाँसी के साथ संयुक्त रूप से प्रस्तावित नगर पार्क की 25.31 हे0 रिक्त भूमि का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से लगभग 19.92 हे0 भूमि वृक्षारोपण हेतु रिक्त है एवं लगभग 5.39 हे0 भूमि जल भराव, पथरीली एवं रास्तों के अन्तर्गत है। उक्त भूमि निजी काश्तकारों के स्वामित्व में है, जिस पर निजी काश्तकारों की सहमति के आधार पर ही वृक्षारोपण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।



फोटो दिनांक 17.11.2023 सर्वेक्षण का कार्य करते हुये

3



फोटो दिनांक 17.11.2023 सर्वेक्षण का कार्य करते हुये

वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण

क्रं. सं.	स्थल	कुल भूमि	वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि	जल भवन एवं सड़को के अन्तर्गत भूमि	पथरीली भूमि
1	2	3	4	5	6
1.	सुन्दरवन क्षेत्र	9.110 हे०	7.390 हे०	1.720 हे०	—
2.	लक्ष्मी तालाब के दक्षिण में	4.160 हे०	1.900 हे०	2.260 हे०	—
3.	पिछोर ताल के दक्षिण में	2.530 हे०	2.530 हे०	—	—
4.	पिछोर ताल के उत्तर में	1.290 हे०	1.290 हे०	—	—
5.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की वाउण्ड्री के उत्तर में	4.160 हे०	2.920 हे०	—	1.240 हे०
6.	सुधा विहार कॉलोनी के गेट नं. 02 के सामने	4.060 हे०	3.890 हे०	0.170 हे०	—
	कुल योग	25.310 हे०	19.920 हे०	4.150 हे०	1.240 हे०

बिन्दु संख्या-08 के अनुपालन में आदेश दिनांक 02.01.2023 में वर्णित ग्राम-डड़ियापुरा के अराजी संख्या-1136, 1154, 1155, 1163, 1164, 1165, 1168 एवं 1206, ग्राम-बूढ़ा के अराजी संख्या-38, 123, 132 एवं 133, ग्राम-नयागांव के अराजी संख्या-560/8 एवं 560/9 का भू-उपयोग प्रस्तावित नगर पार्क से भिन्न है, जिसमें भू-उपयोग प्रस्तावित आवासीय एवं व्यवसायिक हैं।

तदनुसार मा० राष्ट्रीय हरित अधिकरण के पारित आदेश के क्रम में झाँसी विकास प्राधिकरण की अद्यतन अनुपालन आख्या अवलोकनार्थ एवं अग्रेत्तर निर्देशार्थ सादर प्रस्तुत है।

3

(आलोक यादव)
उपाध्यक्ष
झाँसी विकास प्राधिकरण,
झाँसी।

(अविनाश कुमार)
जिलाधिकारी, झाँसी।
(सदस्य/नोडल एजेंसी)

कार्यालय झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

प्रेषक,

उपाध्यक्ष,
झाँसी विकास प्राधिकरण,
झाँसी।

सेवा में,

जिलाधिकारी,
झाँसी।

संख्या-2248/जे.डी.ए./मा0रा0हरि0अधि0/(2023-24)

दिनांक 29 दिसम्बर, 2023

विषय :- मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण, के मूल प्रा0पत्र सं0-918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश 10.10.2023 विषयक।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण में मूल प्रा0पत्र सं0-918/2022 नरेन्द्र कुशवाहा बनाम यूनियन ऑफ इण्डिया एवं अन्य में पारित आदेश दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन में राजस्व ग्राम-बूढ़ा, झाँसी खास एवं नयागांव में प्रस्तावित नगर पार्क की भूमि के सर्वेक्षण का कार्य किया जा चुका है, जिसमें 200 अनाधिकृत निर्माण चिन्हित किये गये हैं, तथा उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस जारी किये जा चुके हैं। पूर्व चिन्हित 2505 अनाधिकृत निर्माण को सम्मिलित करते हुये कुल 2705 अनाधिकृत निर्माण चिन्हित हो चुके हैं, इन अनाधिकृत निर्माणकर्ताओं/भू-स्वामियों को पूर्व में अधिनियम की सुसंगत धारा के अन्तर्गत नोटिस जारी की गयी। वर्तमान में 312 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये हैं। पूर्व में प्राधिकरण द्वारा 337 प्रकरणों में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये थे इस प्रकार कुल 649 ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये जा चुके हैं। जिसके सापेक्ष 26 प्रकरणों में मा0 उच्च न्यायालय, इलाहाबाद द्वारा स्थगन आदेश पारित किये गये हैं।

प्राधिकरण द्वारा अब तक कुल 40 अनाधिकृत निर्माणों के विरुद्ध ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। दिनांक 21.11.2023 को प्राधिकरण के प्रवर्तन दल एवं पुलिस बल के सहयोग से मौजा-झाँसीखास में 10 अनाधिकृत निर्माण एवं दिनांक 12.12.2023 को मौजा-पिछोर में 06 अनाधिकृत निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी है।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन में प्राधिकरण के सचिव, नगर नियोजक, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्तागण तथा डी.एफ.ओ, झाँसी की संयुक्त टीम द्वारा वृक्षारोपण कराये जाने के लिये 25.00हे0 भूमि का सर्वेक्षण कार्य किया गया, जिसमें 19.92हे0 भूमि रिक्त पाई गयी। यद्यपि सर्वेक्षण की गयी भूमि निजी काश्तकारों के स्वामित्व में है, जिसमें निजी काश्तकारों से सहमति के आधार पर ही वृक्षारोपण कराया जाना सम्भव हो सकेगा।

मा0 राष्ट्रीय हरित अधिकरण के आदेश दिनांक 02.01.2023 में झाँसी महायोजना 2021 के अनुसार मौजा-डड़ियापुरा के आराजी संख्या-1136, 1154, 155, 1163, 1164, 1165, 1168

एवं 1206 इत्यादि मौजा-पिछोर के आराजी संख्या- 908, 909, 910, 911, 912, 917, 932, 933, 934, 935, 936, 752, 753, 754, 755, 817, 818, 819, 820, 821, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 760 एवं 856 इत्यादि, मौजा-झांसी खास के आराजी संख्या- 751 इत्यादि, मौजा-बूढा के आराजी संख्या- 38, 123, 132, 133, 297, 298, 300, 304 एवं 305 इत्यादि, मौजा-नयागांव के आराजी संख्या-560/8 एवं 560/9 इत्यादि का भू-उपयोग नगर पार्क एवं पार्क का उल्लेख है। उक्त राजस्व ग्रामों में से ग्राम-डड़ियापुरा के आराजी संख्या-1136, 1154, 1155, 1163, 1164, 1165, 1168 एवं 1206 ग्राम-बूढा के आराजी संख्या- 38, 123, 132 एवं 133 ग्राम-नयागांव के आराजी संख्या-560/8 एवं 560/9 का भू-उपयोग प्रस्तावित नगर पार्क से भिन्न है, जिनमें व्यवसायिक एवं आवासीय भू-उपयोग भी सम्मिलित है।

मा0 अधिकरण के आदेश दिनांक 10.10.2023 के अनुपालन में बिन्दुबार आख्या निम्नवत् है :-

1. बिन्दु संख्या-05 के अनुपालन में प्राधिकरण द्वारा अनाधिकृत निर्माणों को चिन्हित करते हुए उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम-1973 के अधीन 200 अन्य नोटिस जारी किये गये व 312 अन्य में ध्वस्तीकरण आदेश पारित किये गये। इस प्रकार अब तक कुल नोटिस 2705 तथा ध्वस्तीकरण आदेश 649 जारी किये जा चुके हैं।

प्राधिकरण द्वारा अब तक कुल 40 अनाधिकृत निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की जा चुकी है। दिनांक 21.11.2023 को प्राधिकरण का प्रवर्तन दल, जिला प्रशासन एवं पुलिस बल के सहयोग से मौजा-झांसी खास में 10 अनाधिकृत निर्माण एवं दिनांक 12.12.2023 को मौजा-पिछोर में 06 अनाधिकृत निर्माण में ध्वस्तीकरण की कार्यवाही की गयी।




फोटो दिनांक 21.11.2023 को ध्वस्तीकरण की कार्यवाही



फोटो दिनांक 12.12.2023 ध्वस्तीकरण की कार्यवाही

2. बिन्दु संख्या-06 के अनुपालन में सर्वेक्षण का कार्य पूर्ण करते हुए प्राधिकरण द्वारा अब तक कुल 2705 नोटिस जारी किये जा चुके हैं। राजस्व ग्राम-बूढ़ा एवं झाँसी खास में 110 एवं ग्राम नयागांव में 90 अनाधिकृत निर्माण को चिन्हित कर उ0प्र0 नगर नियोजन एवं विकास अधिनियम 1973 (यथा संशोधित 1997) की सुसंगत धाराओं के अन्तर्गत कुल 200 भवनों के विरुद्ध नोटिस की कार्यवाही की जा चुकी है।
3. बिन्दु संख्या-07 के अनुपालन में दिनांक 17.11.2023 को प्राधिकरण के सचिव, नगर नियोजक, सहायक अभियन्ता एवं अवर अभियन्तागण की टीम के साथ डी0एफ0ओ0, झाँसी के साथ संयुक्त रूप से प्रस्तावित नगर पार्क की 25.31 हे0 रिक्त भूमि का सर्वेक्षण किया गया, जिसमें से लगभग 19.92 हे0 भूमि वृक्षारोपण हेतु रिक्त है एवं लगभग 5.39 हे0 भूमि जल भराव, पथरीली एवं रास्तों के अन्तर्गत है। उक्त भूमि निजी काश्तकारों के स्वामित्व में है, जिस पर निजी काश्तकारों की सहमति के आधार पर ही वृक्षारोपण की कार्यवाही सम्भव हो सकेगी।



फोटो दिनांक 17.11.2023 सर्वेक्षण का कार्य करते हुये

वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि का विवरण

क्रं. सं.	स्थल	कुल भूमि	वृक्षारोपण हेतु उपलब्ध भूमि	जल भवन एवं सड़को के अन्तर्गत भूमि	पथरीली भूमि
1	2	3	4	5	6
1.	सुन्दरवन क्षेत्र	9.110 हे0	7.390 हे0	1.720 हे0	—
2.	लक्ष्मी तालाब के दक्षिण में	4.160 हे0	1.900 हे0	2.260 हे0	—
3.	पिछोर ताल के दक्षिण में	2.530 हे0	2.530 हे0	—	—
4.	पिछोर ताल के उत्तर में	1.290 हे0	1.290 हे0	—	—
5.	बुन्देलखण्ड विश्वविद्यालय की वाउण्ड्री के उत्तर में	4.160 हे0	2.920 हे0	—	1.240 हे0
6.	सुधा विहार कॉलोनी के गेट नं. 02 के सामने	4.060 हे0	3.890 हे0	0.170 हे0	—
	कुल योग	25.310 हे0	19.920 हे0	4.150 हे0	1.240 हे0

4. बिन्दु संख्या-08 के अनुपालन में आदेश दिनांक 02.01.2023 में वर्णित ग्राम-डड़ियापुरा के अराजी संख्या-1136, 1154, 1155, 1163, 1164, 1165, 1168 एवं 1206, ग्राम-बूढ़ा के अराजी संख्या-38, 123, 132 एवं 133, ग्राम-नयागांव के अराजी संख्या-560/8 एवं 560/9 का भू-उपयोग प्रस्तावित नगर पार्क से भिन्न है, जिसमें भू-उपयोग प्रस्तावित आवासीय एवं व्यवसायिक हैं।

आख्या सेवा में प्रेषित है।

भवदीय



(आलोक यादव)

उपाध्यक्ष

झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

श्री झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

झाँसी महायोजना-2021 के अनुसार मौजा-डड़ियापुरा तहसील व जिला झाँसी के नगर पार्क की भूमि के अन्तर्गत आराजी संख्या का विवरण :-

क्रं.स.	भू-उपयोग	आराजी संख्या
1	मनोरंजन सुविधायें (नगर पार्क)	125, 535, 536, 537, 538, 539, 545, 546, 547, 548, 549, 550, 551, 552, 553, 557, 558, 559, 560, 561, 562, 563, 564, 566, 567, 568, 569, 570, 571, 572, 573, 574, 575, 576, 577, 578, 579, 580, 581, 582, 583, 587, 588, 589, 590, 591, 592, 593, 594, 595, 596, 597, 598, 599, 600, 601, 602, 603, 604, 605, 606, 607, 608, 609, 610, 611, 612, 615, 616, 617, 618, 619, 620, 621, 622, 623, 624, 625, 626, 627, 628, 629, 630, 631, 632, 633, 634, 635, 636, 637, 638, 639, 640, 641, 642, 643, 644, 645, 646, 647, 648, 649, 650, 651, 652, 653, 654, 655, 656, 657, 658, 659, 660, 661, 662, 663, 664, 665, 666, 667, 668, 669, 670, 671, 672, 673, 674, 675, 676, 677, 678, 679, 680, 681, 682, 683, 684, 685, 686, 687, 688, 689, 690, 691, 692, 693, 694, 695, 696, 697, 698, 699, 700, 701, 702, 703, 704, 705, 706, 707, 708, 709, 710, 711, 712, 713, 714, 715, 716, 717, 718, 719, 720, 721, 722, 723, 724, 725, 726, 727, 728, 729, 730, 731, 732, 733, 734, 735, 736, 737, 738, 739, 740, 741, 742, 743, 744, 745, 746, 747, 748, 749, 750, 751, 752, 753, 754, 755, 756, 757, 758, 759, 760, 761, 762, 763, 764, 765, 766, 767, 768, 769, 770, 771, 772, 773, 774, 775, 776, 777, 778, 779, 780, 781, 782, 783, 784, 785, 786, 787, 788, 789, 790, 791, 792, 793, 794, 795, 796, 797, 798, 799, 800, 801, 802, 803, 805, 806, 807, 809, 810, 811, 812, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 864, 865, 866, 867, 868, 869, 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 909, 910, 911, 912, 913, 914, 915, 916, 917, 918, 919, 920, 921, 922, 923, 924, 925, 926, 927, 928, 929, 930, 931, 932, 933, 934, 935, 936, 937, 938, 939, 940, 942, 943, 944, 946, 947, 950, 951, 952, 953, 954, 955, 956, 957, 958, 959, 960, 961, 962, 963, 964, 965, 966, 967, 968, 969, 970, 971, 972, 973, 974, 975, 976, 977, 978, 983, 984, 985, 986, 987, 988, 992, 993, 994, 995, 996, 997, 998, 999, 1000, 1001, 1002, 1003, 1004, 1005, 1006, 1007, 1008, 1009, 1010, 1011, 1012, 1013, 1014, 1015, 1016, 1017, 1018, 1019, 1020, 1021, 1022, 1023, 1024, 1025, 1026, 1027, 1028, 1029, 1030, 1031, 1032, 1033, 1034, 1035, 1036, 1037, 1038, 1039, 1040, 1041, 1042, 1043,

(जितेन्द्र सिंह सहस्वार)
नगर नियोजक
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

411

		1044, 1045, 1046, 1047, 1048, 1049, 1050, 1051, 1052, 1053, 1054, 1055, 1056, 1057, 1058, 1059, 1060, 1061, 1062, 1063, 1064, 1065, 1066, 1067, 1068, 1069, 1070, 1071, 1072, 1073, 1074, 1075, 1076, 1077, 1078, 1079, 1080, 1081, 1082, 1083, 1084, 1085, 1086, 1087, 1088, 1089, 1090, 1091, 1092, 1093, 1094, 1095, 1096, 1097, 1098, 1099, 1100, 1101, 1102, 1103, 1104, 1105, 1106, 1107, 1108, 1109, 1110, 1111, 1112, 1113, 1114, 1115, 1116, 1117, 1118, 1123, 1124, 1125, 1126, 1127, 1220, 1222, 1223, 1224, 1225, 1226, 1227, 1228, 1229, 1230, 1231, 1232, 1233, 1234, 1236, 1237, 1238, 1239, 1240, 1241, 1242, 1243, 1244, 1245, 1251, 1252, 1253, 1254, 1255, 1256, 1257, 1258, 1259, 1260, 1261, 1262, 1263, 1264, 1265, 1266, 1267, 1268, 1269, 1270, 1271, 1272, 1273, 1274, 1275, 1276, 1277, 1278, 1279, 1313, 1328, 1329, 1330, 1331, 1332, 1333, 1334, 1335, 1337, 1338, 1339, 1340, 1341, 1342, 1343, 1344, 1345, 1346, 1347, 1348, 1349, 1350, 1351, 1352, 1353, 1354, 1355, 1356, 1357, 1358, 1359, 1360, 1363, 1379, 1380, 1381, 1382, 1383, 1384, 1385, 1386, 1387, 1388, 1389, 1390, 1391, 1392, 1462, 1466, 1467, 1471 एवं 1537
2	मनोरंजन सुविधायें (नगर पार्क) आंशिक भाग	121, 122, 126, 127, 540, 541, 544, 554, 555, 560, 565, 584, 586, 613, 614, 804, 808, 941, 945, 948, 949, 989, 991, 1119, 1120, 1122, 1128, 1130, 1140, 1142, 1221, 1235, 1246, 1249, 1250, 1280, 1284, 1312, 1314, 1319, 1326, 1327, 1336, 1362, 1364, 1365, 1372, 1378, 1393, 1461, 1463, 1464, 1465, 1470, 1472, 1473, 1474, 1475, 1476, 1477, 1478, 1479, 1533, 1534, 1535, एवं 1536

782
06.10.24
(जितेन्द्र सिंह सहरवार)
नगर नियोजक
औसत विकास प्राधिकरण, झारखंड

झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

झांसी महायोजना-2021 के अनुसार वर्णित आराजी नं० का भू-उपयोग

मौजा- नयागांव	तहसील- झांसी	आराजी संख्या
क्र. सं.	भू-उपयोग	
1	क्षेत्रीय पार्क (पी-1)	57(आंशिक), 60(आंशिक), 61(आंशिक), 62, 63, 64, 65, 66, 67, 68(आंशिक), 69, 71, 72(आंशिक), 111(आंशिक), 112(आंशिक), 113(आंशिक), 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 121, 122, 123, 124, 125, 126, 127 (आंशिक), 128, 129, 130, 131, 132, 133, 134, 135, 136, 137(आंशिक), 138(आंशिक), 140, 141, 142, 143, 144, 145, 154(आंशिक), 155(आंशिक), 156(आंशिक), 157(आंशिक), 158(आंशिक), 159, 160, 161, 162, 163, 164, 165, 166, 167, 168, 169, 170, 171, 172, 173, 174, 175, 176, 177, 178, 179, 180, 181, 182, 183, 184, 185, 186(आंशिक), 187(आंशिक), 189, 190, 191, 192, 193, 194, 195, 196, 197, 198, 199, 200, 201, 202, 203, 204, 205, 206, 207, 208, 209, 210, 211, 212, 213, 214, 215, 216, 217, 218, 219, 220, 221, 222, 223, 224, 225, 226, 227, 228, 229, 230, 231, 232, 233, 234, 235, 236(आंशिक), 237, 238, 239, 240, 241, 242, 243, 244, 245, 246, 247, 248, 249(आंशिक), 250, 251(आंशिक), 252(आंशिक), 253(आंशिक), 254, 255, 256, 257, 258(आंशिक), 259, 260(आंशिक), 261(आंशिक), 262, 263, 264, 265, 266, 267, 268, 269, 270, 271, 272, 273, 274(आंशिक), 275(आंशिक),
2	प्रखण्डीय पार्क (पी-3)	425, 427, 428, 429, 430, 431(आंशिक), 440, 738, 739, 740, 741, 742,

26.10.21
(जितेन्द्र सिंह सहस्वार)
नगर नियोजक
झांसी विकास प्राधिकरण, झांसी

3	प्रखण्डीय पार्क (पी-3)	800(आंशिक), 801, 802, 803, 804, 805, 806, 807, 808, 809, 810, 811, 812, 813, 814, 815, 816, 817, 818, 819, 820, 821, 822, 823, 824, 825, 826, 827, 828, 829, 830, 831, 832, 833, 834, 835, 836, 837, 838, 839, 840, 841, 842, 843, 844, 845, 846, 847, 848, 849, 850, 851, 852, 853, 854, 855, 856, 857, 858, 859, 860, 861, 862, 863, 869(आंशिक), 870, 871, 872, 873, 874, 875, 876, 877, 878, 879, 880, 881, 882, 883, 884, 885, 886, 887, 888, 889, 890, 891, 892, 893, 894, 895, 896, 897, 898, 899, 900, 901, 902, 903, 904, 905, 906, 907, 908, 910, 911, 914(आंशिक), 916, 917, 918, 919, 920(आंशिक),
---	---------------------------	--

24/6.10.21
(जितेन्द्र सिंह सहरवार)
नगर नियोजक
झाँसी विकास प्राधिकरण, झाँसी

श्री ज़ासी विकास प्राधिकरण, ज़ासी

ज़ासी महायोजना-2021 के अनुसार वर्णित आराजी नं० का भू-उपयोग

मौजा- बूढ़ा		तहसील- ज़ासी
क्रं. सं.	भू-उपयोग	आराजी संख्या
1	प्रखण्डीय पार्क (पी-3)	54(आंशिक), 55, 56(आंशिक), 58(आंशिक), 59(आंशिक), 60(आंशिक), 61(आंशिक), 107, 108, 109, 110, 111, 112, 113(आंशिक), 114(आंशिक), 116(आंशिक), 117(आंशिक), 118(आंशिक), 119(आंशिक), 120(आंशिक), 121(आंशिक), 292(आंशिक), 293, 294, 295, 296, 297, 297 / 1027, 298, 299, 300, 301, 302, 303, 304, 305, 306, 471(आंशिक), 478(आंशिक), 479, 480, 481, 482, 483(आंशिक), 486(आंशिक), 487, 488, 489(आंशिक), 498(आंशिक), 499(आंशिक), 500(आंशिक), 501, 502, 503(आंशिक), 509(आंशिक), 511(आंशिक), 512, 513, 514, 515, 516, 517, 518, 519, 520(आंशिक), 521(आंशिक), 523(आंशिक), 524(आंशिक), 525, 526, 527, 528, 529, 530, 531

06.10.21
(जितेन्द्र सिंह सहरवार)
नगर नियोजक
ज़ासी विकास प्राधिकरण, ज़ासी